न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 223/2016

1 मालाराम पुत्र चुनाराम उर्फ चुना जाति जाट निवासी बुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं – दौराने अपील मृतक

1/1 मु. शौरभ कुमारी उम्र 54 साल पुत्री मालाराम स्त्री राजपाल जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

1/2 मु. सुविता आयु 47 साल पुत्री मालाराम स्त्री दिलबाग सिंह जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

1/3 मु. सरिता आयु 44 साल पुत्री मालाराम स्त्री हरिसिंह जाति जाट निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

1/4 मु. सरोज आयु 39 साल पुत्री मालाराम स्त्री जयपाल जाति जाट निवासी गहली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

1/5 सुरेन्द्र कुमार आयु 42 साल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी बुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

1/6 संजय कुमार आयु 50 साल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी बुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

2 बजरंगलाल आयु 60 साल पुत्र चुन्नाराम उर्फ चुना जाति जाट निवासी बुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

2 प्रभारी अधिकारी, पशुपालना विभाग राजस्थान सरकार जरिये प्रभारी अधिकारी राजकीय पशुचिकित्सालय बुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016
बमुकदमा उनवानी मालाराम वगै. बनाम राजस्थान सरकार
वगै. दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई
निषेधाज्ञा मु.नं. 95/2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट राजकीय

—निर्णय—

दिनांकः— 19.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 95/2015 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय वादी अपीलान्टस ने एक वाद बाबत भूमि खसरा नम्बर 734 वाके ग्राम बुडानियां का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद अस्वीकार कर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण की आदेशिका से स्पष्ट है कि दिनांक 30.10.2015 से दिनांक 27.05.2016 तक मोहर लगाकर तारीख पेशिया

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

दी जाती रही। दिनांक 27.05.2016 को भी मोहर लगाकर तारीख पेशी दिनांक 09.06.2016 दिया जाना प्रकट होता है परन्तु हस्तलेख में कैम्प बुडानियां दर्ज है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कैम्प में पत्रावली रखे जाने संबंध वादीगण/अपीलान्टस को कोई सूचना नहीं दी गई न किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस/वादीगण की बिना सुनवाई किये अपनी मनमर्जी से न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है। प्रकरण की पत्रावली की समस्त आदेशिका से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार ने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जबकि विचाराधीन निर्णय में तहसीलदार प्रतिवादी नम्बर 1/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से जवाब लिया जाना जाहिर करते हुये जवाब में वादीगण/अपीलान्टस के दावा में दर्ज तथ्यों का विरोध किया जाना प्रकट किया गया है। ऐसी स्थिति में विधिनुसार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब दावा की नकल वादीगण/अपीलान्टस को दिलवाई जाकर वादीगण/अपीलान्टस के दावा में विधिवत विवाधक कायम किये जाकर उभय पक्षकारान की साक्ष्य रिकार्ड पर ली जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय ने अपना मनमाना निर्णय देने से पूर्व किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रकिया नही अपनाई है तथा न वादीगण/अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी आदि पर कोई गोर किया है तथा न मौके की स्थिति के बारे में किसी प्रकार से कोई रिपोर्ट पत्रावली के रिकार्ड पर ली जिससे यह जाहिर होता कि प्रतिवादी नम्बर 2/रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के हक जमीन आवंटित करने के लिए खाली जमीन (**Unoccupied land**) मौजूद रही जो आवंटित की गई। उक्त समस्त परिस्थितियों में भी विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है। अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे व पत्रावली विचारण को प्रेषित की जाकर दावा का निस्तारण विधिवत किये जाने के दिशा

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्देश फरमाये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2006(1) राज पेज 52 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार चिड़ावा ने अपने जवाब यह स्पष्ट किया है कि जमाबन्दी संवत 2012 से ही भूमि राजकीय भूमि दर्ज है तथा लगातार आज तक वर्तमान में भी राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज है। तहसीलदार चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत जवाब से वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा दिनांक 18.09.2015 को वाद प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात आदेशिका में 7 तारीख पेशी मोहर लगाकर अंकित की गई है। विचाराधीन निर्णय की दिनांक को विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना, उभयपक्ष की सुनवाई किए बिना विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 19.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर